

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक प0 07(8)राज/वाद/2022 पार्ट-1

जयपुर दिनांक 09/10/23

:: आदेश ::

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत निदेशालय, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में संस्थापन अधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2023-24 की डीपीसी हेतु आयोजित बैठक दिनांक 08.10.2023 में की गई अभिशंषा के अनुसार निम्न सूची के कॉलम संख्या 2 में अंकित प्रशासनिक अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 4 में अंकित पदोन्नति वर्ष के लिये कॉलम सं05 में अंकित रनिंग-पे बेण्ड एवं ग्रेड-पे/पे-मेट्रिक्स लेवल पर संस्थापन अधिकारी के पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर चयन कर, स्थानापन्न रूप से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	श्रेणी	पदोन्नति वर्ष	रनिंग-पे बेण्ड एवं ग्रेड-पे/पे-मेट्रिक्स लेवल
1	2	3	4	5
1	श्री लक्ष्मण सिंह राजावत	सामान्य	2023-24 (01.04.2023 से)	15600-39100 ग्रेड-पे-6000/एल-15
2	श्रीमती सुशीला खोरवाल	अ.जा.	2023-24 (01.04.2023 से)	15600-39100 ग्रेड-पे-6000/एल-15
3	श्री अशोक खत्री	सामान्य	2023-24 (01.04.2023 से)	15600-39100 ग्रेड-पे-6000/एल-15
4	श्री मान सिंह	सामान्य	2023-24 (01.04.2023 से)	15600-39100 ग्रेड-पे-6000/एल-15
5	श्री राजू सिंह	ओ.बी.सी.	2023-24 (01.04.2023 से)	15600-39100 ग्रेड-पे-6000/एल-15
6	श्री राकेश मण्डारी	सामान्य	2023-24 (01.04.2023 से)	15600-39100 ग्रेड-पे-6000/एल-15

उक्त पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद को अस्थायी रूप से यथा आवश्यकतानुसार कमोन्नत मानते हुये 03 दिवस के भीतर कार्यग्रहण कर, अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को (जरिये ई-मेल/डाक) प्रेषित करेंगे अन्यथा इसके अभाव में यह माना जावेगा कि वे पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और उनके द्वारा उक्त पदोन्नति का परित्याग (Forego) माना जावेगा। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की दिनांक से देय होगा, किन्तु पूर्व में इनके द्वारा प्राप्त किये गये लाभ यथावत रहेंगे। उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

६०

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशेषाधिकारी, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)।
3. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
4. संबंधित कोषाधिकारी,.....।
5. संबंधित कार्यालय,.....।
6. सहायक लेखाधिकारी-1, वादकरण।
7. संबंधित कर्मचारी,.....।
8. रक्षित पत्रावली।

9/10/23
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि